



उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,

लखनऊ

संख्या : 173 -विनियम एवं काविनी/2013-05-विनियम/88 (टीसी)

दिनांक : 28 नवम्बर, 2014

कार्यालय-झाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 18-11-2014 को सम्पन्न हुई 110वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन के कार्यालय झाप सं० 55-विनियम एवं काविनी/2013-05-विनियम/88 दिनांक 17.07.2014 के स्तम्भ-2 (निम्नांकित स्तम्भ-1) में इंगित प्राविधानों को आंशिकरूप से संशोधित करते हुए, निम्नांकित स्तम्भ-2 में इंगित प्राविधानों से एतद्वारा पूर्व की भाँति प्रतिस्थापित किया जाता है:-

स्तम्भ-1 (वर्तमान प्राविधान)	स्तम्भ-2 (प्रतिस्थापित प्राविधान)
उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 (यथा संशोधित)	उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 (यथा संशोधित)
विनियम-5 भर्ती का स्रोत	विनियम-5 भर्ती का स्रोत
1. सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग-अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :-	1. सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग-अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :-
(क) निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा - 58.66 प्रतिशत।	(क) 50-1/3 प्रतिशत - प्रशिक्षित अभियन्ताओं में से सीधी भर्ती हेतु।
(ख) अवर अभियन्ता से प्रोन्नति द्वारा (चयन वर्ग के सदस्यों से परिशिष्ट-ग में विहित रीति के अनुसार) - 40 प्रतिशत।	(ख) 40 प्रतिशत - अवर अभियन्ता से प्रोन्नति द्वारा चयन वर्ग के सदस्यों से परिशिष्ट-ग में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु।
(ग) कम्प्यूटर सेलेक्शन ग्रेड (ई० एण्ड एम०) से प्रोन्नति द्वारा (परिशिष्ट-ग में विहित रीति के अनुसार) - 1.33 प्रतिशत।	(ग) 1-1/3 प्रतिशत - स्थाई एवं अर्ह संगणकों (चयन वर्ग) विद्युत एवं यान्त्रिक से परिशिष्ट-ग में विहित रीति के अनुसार।
(घ) विलोपित।	(घ) 8-1/3 प्रतिशत - डिग्री धारी अवर अभियन्ता/संगणक से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/संगणकों जो बी०ई०/ए०एम०आई०ई० की अर्हता प्राप्त हो तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षों की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त (घ) के विरुद्ध भरे

(क्रमशः2)

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा विनियमावली-1970 (यथा संशोधित)	जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियन्ता व संगणकों में से बांटी जायेगी जो उपर्युक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।
उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा विनियमावली-1970 (यथा संशोधित)	उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा विनियमावली-1970 (यथा संशोधित)
विनियम-5 भर्ती का स्रोत	विनियम-5 भर्ती का स्रोत
1. सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग-अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :-	1. सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग-अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :-
(क) परिशिष्ट-क में वर्णित नियम व रीति के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा - 58.66 प्रतिशत।	(क) परिशिष्ट-क में वर्णित नियम व रीति के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा - 50-1/3 प्रतिशत।
(ख) परिशिष्ट-ख में वर्णित रीति के अनुसार अवर अभियन्ता (सिविल) से पदोन्नति द्वारा - 40 प्रतिशत।	(ख) परिशिष्ट-ख में वर्णित रीति के अनुसार अवर अभियन्ता (सिविल) से पदोन्नति द्वारा - 40 प्रतिशत।
(ग) परिशिष्ट-ख में वर्णित रीति के अनुसार स्थाई व अर्हता प्राप्त संगणकों (प्रवरण) श्रेणी (सिविल) से पदोन्नति द्वारा - 1.33 प्रतिशत।	(ग) परिशिष्ट-ख में वर्णित रीति के अनुसार स्थाई व अर्हता प्राप्त संगणकों (प्रवरण) श्रेणी (सिविल) से पदोन्नति द्वारा ... 1-1/3 प्रतिशत।
(घ) विलोपित।	(घ) डिग्री धारी अवर अभियन्ता/संगणक से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/संगणकों जो बी०ई०/ए०एम०आई०ई० की अर्हता प्राप्त हो तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षों की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो ... 8-1/3 प्रतिशत।
प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त (घ) के विरुद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियन्ता व संगणकों में से बांटी जायेगी जो उपर्युक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।	प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त (घ) के विरुद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियन्ता व संगणकों में से बांटी जायेगी जो उपर्युक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।

2. संगत विनियमावलियाँ उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

(क्रमशः3)

(3)

संख्या : 173 (1)-विनियम एवं काविनी/2014-05-विनियम/88(टीसी) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कैरको-कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ट्रान्सको/डिस्काम्स।
9. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/महाप्रबन्धक(औ०सं०)/विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्रांक-702/पाकालि/बैठक(110)/2014 दिनांक 26-11-2014 के सन्दर्भ में।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट)।


(जावेद अहमद) 28/11/14
संयुक्त सचिव